न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड (म०प्र०)

(समक्ष:—उमेश पाण्डव)

<u>CRA-12/2017</u> <u>संस्थापन दिनांक 01–08–2016</u>

- (1) राधाकृष्ण सिंह नरवरिया पुत्र अर्जुनसिंह 🛦 उम्र–73 वर्ष,
- (2) श्रीमती शीला पत्नी राधाकृष्ण सिंह नरवरिया उम्र–70 वर्ष,
- (3) उपेन्द्र सिंह पुत्र राधाकृष्ण सिंह नरवरिया उम्र–40 वर्ष,
- (4) श्रद्धा उर्फ पिंकी पुत्री राधाकृष्ण सिंह नरवरिया उम्र—38 वर्ष सभी निवासीगण एल—14 गॉधी नगर ग्वालियर (म0प्र0)

----अपीलार्थी / अनावेदकगण

विरुद्ध

(1) श्रीमती कविता विधवा जितेन्द्र सिंह पुत्री रामसेवक नरवरिया उम्र—38 वर्ष, निवासी रेल्वे स्टेशन के सामने मुड़ियाखेरा तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0)

—— प्रत्यर्थी / आवेदिका

न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड (श्रीमती शिल्पा तिवारी) द्वारा विविध आपराधिक प्र०कं0—201/14 कविता वि० राधाकृष्ण आदि अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित आदेश दिनांक 27—07—2015 से उत्पन्न अपील।

अपीलार्थी / अनावेदकगण द्वारा श्री अतुल सक्सैना अधिवक्ता। प्रत्यर्थी / आवेदिका द्वारा श्री जनकसिंह नरवरिया अधिवक्ता।

::- **आ दे श** -:: (आज दिनांक 02**-**06-2017 को पारित)

- 1— अपीलार्थी / अनावेदकगण द्वारा यह अपील, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के अन्तर्गत श्रीमती शिल्पा तिवारी, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड के न्यायालय के विविध आपराधिक प्र०कं0—201 / 14 कविता वि० राधाकृष्ण आदि में पारित आदेश दिनांक 27—07—2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।
- 2— इस आदेश द्वारा अपीलार्थी / अनावेदकगण को विद्वान विचारण न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी / आवेदिका के प्रति किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने या घरेलू हिंसा के कृत्य को उत्प्रेरित किये जाने से निषेधित करने, अनावेदक कं0—1, प्रत्यर्थी के भरण पोषण हेतु 3,000 रूपये प्रतिमाह आदेश दिनांक से अदा करने यदि अन्य प्रकरण में भरण—पोषण राशि प्रत्यर्थी को प्रदान की जा रही हो तो उक्त राशि इस राशि में समयोजित करने हेतु आदेशित किया गया है।
- 3— अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील आदेश दिनांक 27—07—15 के विरूद्ध दिनांक 01—08—16 को प्रस्तुत की गई है और अपील प्रस्तुति में हुये विलम्ब को क्षमा करने के लिये एक आवेदन अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश किया गया है। अपील के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व इस आवेदन का निराकरण करना आवश्यक है जो कि, इस आदेश की आगामी कण्डिकाओं में किया जावेगा।
- 4— अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अभिवचन किये गये हैं कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश के साथ अपीलार्थीगण ने उनके विरुद्ध दिनांक 13—03—15 को हुये एकपक्षीय आदेश को भी निरस्त कराने का निवेदन किया है। अपीलार्थीगण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—03—15 की जानकारी तब हुई जब उन्हें आदेश दिनांक 27—07—15 की प्रति रिजस्टर्ड डांक द्वारा दिनांक 18 या 19—08—15 को प्राप्त हुई तब दिनांक 25—08—15 को अपीलार्थीगण ने भिण्ड आकर न्यायालय के प्रकरण को देखा और उसी दिनांक को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27—07—15 एवं एकपक्षीय करने वाला आदेश दिनांक 13—03—15 को निरस्त करने के लिये एक

आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने प्र0कं0—59 / 15 मु०फौ० दर्ज कर लिया तथा विचारोपरांत उक्त आवेदन दिनांक 20—07—16 को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 21—07—16 को अपीलार्थीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने की कार्यवाही की जो प्रतिलिपियाँ दिनांक 29—07—16 को प्राप्त हुईं और यह अपील दिनांक 01—08—16 को प्रस्तुत की गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि, दिनांक 13—03—15 से 24—08—15 तक की अवधि आदेश दिनांक 13—03—15 की जानकारी प्राप्त न होने के कारण एवं दिनांक 25—08—15 से 20—07—16 की अवधि सद्भावनापूर्वक प्र0कं0—59 / 15 मु०फौ० में कार्यवाही संचालित करते रहने से एवं दिनांक 21—07—16 से 29—07—16 की अवधि न्यायालय से प्रतिलिपियाँ प्राप्त होने में व्यतीत होने के कारण क्षमा किये जाने का निवेदन कर अपीलार्थीगण की अपील, समयावधि में मान्य किये जाने का निवेदन किया गया है जिसके समर्थन में अपीलार्थी राधाकृष्ण नरविरया का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

5-2 प्रत्यर्थी / आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर आवेदन का लिखित जवाब पेश करते हुये यह अभिवचन किये हैं कि, हस्तगत अपील एक साल से भी अधिक बेरूनमियाद होने से प्रचलन योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण को विद्वान विचारण न्यायालय ने रिजस्टर्ड डांक के द्वारा नोटिस भेजे थे जिन्हें पढ़कर लेने से इन्कार किया गया तदउपरांत ही न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी की साक्ष्य उपरांत दिनांक 27–07–15 को अंतिम आदेश पारित किया गया और उसी पते पर न्यायालय द्वारा आदेश की प्रति भेजी गई जिसे अपीलार्थीगण द्वारा प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। एकपक्षीय आदेश की जानकारी न होना गलत आधारों पर बताया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जो एकपक्षीय आदेश की (निरस्तगी की कार्यवाही की गई थी उसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अवैधानिक मानते हुये निरस्त किया गया है इसलिये अपील अवधि बाह्य होने से निरस्तगी योग्य है क्यों कि, विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है। इन आधारों पर निवेदन किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय के एकपक्षपीय आदेश को निरस्त कराने के लिये जो अवैधानिक कार्यवाही की गई वह क्षमा योग्य न होने से अपील अवधि बाह्य है और आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। आवेदन के जवाब के समर्थन में प्रत्यर्थी / आवेदिका का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

6— आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया। 7— आवेदन के संबंध में निराकरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

> "क्या आवेदन में उल्लेखित विलम्ब के आधार युक्तियुक्त होकर अपील प्रस्तुति में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य हैं ?"

::- निष्कर्ष एवं उसके आधार -::

थह अभिलेख की विषय—वस्तु है कि, हस्तगत अपील विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—07—2015 से व्यथित होकर दिनांक 01—08—16 को प्रस्तुत की गई है जिसमें लगभग 11 माह 3 दिवस का विलम्ब हुआ है।

9— परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 05 के अंतर्गत किसी अपील अथवा आवेदन की प्रस्तुति में हुए विलंब को सामान्य अनुक्रम में क्षमा नहीं किया जा सकता, इसको करने के वैवेकिक अधिकार को प्रयोग करने के लिए न्यायालय के समाधान (satisfaction) हेतु युक्तियुक्त आधार का अस्तित्व में होना आवश्यक है अर्थात् जिन परिस्थितियों में पक्षकार युक्तियुक्त आधार दर्शित नहीं कर पाता, वहाँ पर विलंब क्षमा करने का प्रश्न उत्पन्त नहीं होता है। प्रकरण के उक्त तथ्य में वह पक्षकार जो न्यायालय से उक्त अनुतोष चाहता है, उसका स्वयं का आचरण महत्वपूर्ण होता है।

प्रकरण के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि, धारा ०५ परिसीमा अधिनियम १९६३ के अंतर्गत प्रस्तृत आवेदन में जो विलंब का कारण बताया गया, वह मात्र यह है कि, उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रकरण में एकपक्षीय आदेश दिनांक 13-03-15 को पारित किया गया है उसकी कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें अंतिम आदेश दिनांक 27-07-15 की जानकारी थी। अपीलार्थीगण के अनुसार उन्हें उक्त दोनों आदेशों की जानकारी दिनांक 18 या 19-08-15 को तब हुई जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें अंतिम आदेश दिनांक 27-07-15 की प्रतिलिपि प्रेषित की गई और 25-08-15 को उन्होंने भिण्ड न्यायालय आकर विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख देखा। इसके बाद अपीलार्थीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय आदेश दिनांक 13-03-15 को निरस्त कराने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जो कि, विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 20-07-16 के द्वारा निरस्त किया गया है और तत्पश्चात् प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील दिनांक 01-08-16 को प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थीगण द्वारा आवेदन में अपील प्रस्तृति 11-में हुये विलम्ब को क्षमा करने के लिये दो प्रकार के आधार लिये गये हैं— प्रथम यह कि, उन्हें प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27—07—15 की जानकारी नहीं थी और दूसरा यह कि, जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद से वह न्यायालय में सद्भाविक कार्यवाही कर रहे थे। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि, अपीलार्थीगण द्वारा जो न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही के बारे में बताया है इसके संबंध में प्र0कं0-59/15 मु0फौ0 दर्ज किया गया था जिसमें प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। उक्त आवेदन में आदेश दिनांक 13-03-15 को निरस्त किये जाने का ही निवेदन किया गया है जब कि, उस समय तक प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 27-07-15 को पारित हो चुका था। यह भी उल्लेखनीय है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्र0कं0–59/15 मु0फौ0 में जो आदेश दिनांक 20–07–16 पारित किया गया है उसकी कोई अपील/पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई हो ऐसा अभिलेख से दर्शित नहीं है।

12-प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्द् यह है कि, प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-07-15 अंतिम आदेश है जिसकी अपील घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत सत्र न्यायालय में 30 दिवस के अंदर पेश की जा सकती है। स्वीकत तौर पर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध तत्समय कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी और उक्त न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 7,013 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तृत किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, एकपक्षीय आदेश दिनांक 13–03–15 एवं एकपक्षीय अंतिम आदेश दिनांक 27-07-15 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों में पारित किये गये हैं। इस सम्बंध में जो नियम बनाये गये हैं, उसके नियम 6 (5) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन को दं0प्र0सं0 की धारा 125 में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार ही विचारण किया जायेगा। दं०प्र०सं० की धारा 125 संहिता के अध्याय 9 में है। उक्त अध्याय की धारा 126 में धारा 125 के संबंध में प्रक्रिया दी गयी है। उक्त धारा 126 की उपधारा (2) के परन्तुक में यह प्रावधान दिया गया है कि, एकपक्षीय आदेश पारित होने के बाद तीन मास के अंदर दिये गये आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे में निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे, अपास्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विधि का तात्पर्य यह है कि, विद्वान 13-विचारण न्यायालय के पास उक्त आदेश को अपास्त करने की अधिकारिता थी। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त न्यायालय में एकपक्षीय आदेश अपास्त कराने हेतू कार्यवाही भी की है, यह अलग बात है कि उसमें अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। चूँकि उक्त आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं की गयी है, इसलिए उक्त आदेश के गुणदोष पर इस अपील में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसलिए अपीलार्थीगण का यह आधार कि, वह गलत फोरम में कार्यवाही कर रहे थे, वह स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जब प्रकरण में अंतिम आदेश पारित हो चुका था और उसकी अपील का अवसर भी परिसीमा के अधीन अपीलार्थीगण के पास था जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया है। विधि का ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि, एकपक्षीय आदेश अपास्त कराने की कार्यवाही के पश्चात परिसीमा अवधि को अनदेखा कर उक्त आदेश के विरूद्ध नियमित अपील प्रस्तुत की जा सकती है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि, अपीलार्थीगण सद्भाविक तौर पर गलत फोरम में कार्यवाही कर रहे थे। परिमाणतः इस प्रकरण में अपीलार्थीगण को परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त आधार के अतिरिक्त आवेदन में कोई अन्य आधार अपील प्रस्तृति में हुये विलम्ब को स्पष्ट करने हेतू नहीं लिखा गया।

उपरोक्त विश्लेषण एवं विधि के आलोक में प्रकरण 14— के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण में हुए विलंब के संबंध में जो कारण बताया है, वह स्वीकार योग्य नहीं है और न ही इस प्रकृति का आधार न्यायालय का यह समाधान करता है कि, विलंब सद्भाविक रूप से कारित हुआ (इन परिस्थितियों में हस्तगत प्रकरण में अपील प्रस्तुति में कारित हुआ विलम्ब इस प्रकृति का नहीं है कि, जिसे वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग कर क्षमा किया जा सके। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांत Union of India v. Nripen Sarma AIR 2011 SUPREME COURT 1237 Limitation Act (36 of 1963), S.5 -LIMITATION - APPEAL Delay in filing appeal -Condonation - Appeal was barred by limitation of 114 days -No sufficient cause shown for condoning delay - Appeal liable to be dismissed on ground of delay. , मान्नीय न्यायदृष्टांत Frick India Ltd. v. Executive Engineer AIR 1975 PUNJAB AND HARYANA 39 – परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 05 में निहित वैवेकिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए युक्तीयुक्त आधार प्रमाणित होना आवश्यक हैं तथा न्याय दृष्टांत Madhuribai

v. Grasim Industries Ltd., Nagda AIR 1995 MADHYA PRADESH 160 अवलंबनीय है

तद्ानुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 15-धारा 05 परिसीमा अधिनियम सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील समय परिसीमा से बाधित होने के कारण बिना गुण—दोषों पर विचार किये निरस्त की जाती है

आदेश की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय का 16— अभिलेख सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब भेजा जावे।

दिनांक : 02 जून 2017 भिण्ड, (म0प्र0)

{उमेश पाण्डव} प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला भिण्ड(म0प्र0)

S(HOL)